आज्ञा विस्तृत रूप से

पत्रावली पेश हुई / वकील प्रार्थी उपस्थित, मोहित खाडलानी प्रार्थी शांतिलाल पेशी वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 16/7/12 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

4/8 [redacted] साहब [redacted] है। अतः [redacted] 9/3/08

[redacted]

9/3/08 [redacted] साहब [redacted] 26/4/08

[redacted]

4/4/08 [redacted] साहब [redacted] अतः [redacted] अतः [redacted]

[redacted]

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी आरिफ वकील प्रार्थी के स्थानीय भूमि के रास्ते सरकार गजानन्द पारेख प्रमाणपत्र दाखिल किया है जिस प्रार्थी के विरुद्ध नाम मजरूब आया

उप-खण्ड अधिकारी,
जयपुर (द्वितीय)

स्थ के शपथ-पत्र व
साल 2068-2071 में
की खतौनी के
की है जिसमें शपथ प्रार्थी
ने चौथमल वल्द गणपत
सहखातेदार की बयान
के शपथ-पत्र भी लिये
लिया है कि चौथमल
हमारे परिवार के सद
सम्पत्ति विवाद है चौथ
पर चौथमल पुत्र मा
है तो मुझे कोई आ
इसके वकील प्रार्थी
एवं पत्रावली की
आधार पर प्रार्थी
धारा 136 न
स्वीकार किया
तहसीलदार
किया धारा है
1695, 1696/33
1802, 1803/33
किस्म 12 कुल
गजानन्द की
साथ पर किया
हाल प्रमाणपत्र
के स्थान पर
रिकार्ड करके
उन नाम के

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

एतद्द्वारा नोटिस अंकित किया है प्रार्थी के स्वयं का शपथ-पत्र व राजस्व दस्तावेज भाग की खाता 2068-2071 पर भू-अधिग्रहण किया जाकर की खतौनी व अधिकतम खाता 2015-27 पेश की है जिसमें खाता प्रार्थी के पिता गांव चौथूराम व चौथमल पुत्र चौथमल और अंदर अंकित है सहखातेदार श्रीकानाराम पुत्र बालू जाति जाट का शपथ-पत्र भी पेश किया है जिसमें अंकित किया है कि चौथमल पुत्र मांगू उर्फ मांगया इन दोनों परिवार के सदस्य है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में चौथमल पुत्र मोरिया के स्थान पर चौथमल पुत्र मांगू उर्फ मांगया कर दिया गया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इसके बाद प्रार्थी को मूल व पेश शपथ पत्र एवं पत्रावली के कथन दस्तावेज का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि भूमि खसरा नं. 1682, 1695, 1696/3368, 1714, 1720, 1725, 1726, 1802, 1803/3330, 1850, 1855, 1884, कुल किता 12 कुल रकबा 3.51 है, जिसके बारे में गणमान्य की पटवार हल्का दातेली, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के प्रार्थी का किसा 1/4 हाल जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम मोरिया के स्थान पर मांगू ~~उर्फ मांगया~~ दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करें। पत्रावली के अनुसार इस नामकरण के बाद वादी का दाखिल दफ्तर है।

जवाब दें
674
11/7/18

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)